अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

अप्रैल 2008 | केवल सदस्यों के लिए | मूल्य 3 रुपए

आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा 18 फरवरी 2008 को नयी दिल्ली में किए गए प्रदर्शन के दृश्य

भ्रमित करता बजट

यूपीए सरकार का अंतिम बजट प्रस्तुत करते हुए, वित्त मंत्री चिदंबरम ने एक भ्रम पैदा करने का प्रयत्न किया कि वे आम जनता के बहुत बड़े भाग से संबंधित मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं। मीडिया ने ऋण मांफी योजना के बारे में बहुत धूम मचाई और कहा कि आने वाले आम चुनाव का खतरा इत्यादि के कारण शायद वित्त मंत्री का मन बदल गया और जनता की समस्याओं को संबोधित करने के लिए कुछ खास प्रयत्न किए गए हैं। परन्तु, ऐसा नही है।

बिल्कुल, वाम दलों और जन आंदोलनों के दबावों, विभिन्न राज्यों में चुनावी हारों की कड़ी, और शीघ्र ही आने वाले आम चुनावों का सामना करने की आवश्यकता, जैसे सभी मुद्दों ने ही बजट में कुछ सकारात्मक घोषणाओं का नेतृत्व किया है, परन्तु इनमें से बहुत सी घोषणाएं पूरे दिल से नही की गई हैं या फिर कह सकते हैं कि आंकड़ों का जंजाल है।

किसानों के लिए ऋण राहत योजना की घोषणा बहुत ही जोर शोर से की गई और कहा गया कि इससे लगभग 4 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने किसानों द्वारा संस्थानों से लिए गए ऋणों पर 60,000 करोड़ रू की एक बार की ऋण राहत दी है, और उसके लिए भी दो हेक्टेयर भूमि की सीमा तय की गई है। यद्यपि यह घोषणाा बहुत विलंब से की गई, परन्तु फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि इससे छोटे किसानों को कुछ राहत मिलेगी, जिन्हें बैंक ऐजेंटों का उत्पीड़न झेलना पड़ रहा था। लेकिन निजी महाजनों इत्यादी द्वारा से लिए गए ऋण का हिसाब लगाया जाए तो इस दायरे से बाहर के किसानों की संख्या आधे से भी अधिक है और इन्हें ऋण राहत के दायरे से बाहर रखा गया है। एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार इन ऋणों के 18000 करोड़ रू की राशि 30 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर हैं।

इस बजट में उन गरीब किसानों के लिए भी कुछ घोषणा नही की गई, जिनके पास दो हेक्टेयर से अधिक भूमि है। महाराष्ट्र में विदर्भ, आंध्र प्रदेश में रायलसीमा, और दक्षिणी कर्नाटक जैसे क्षेत्र खेती के सबसे अधिक संकटग्रस्त क्षेत्र हैं और इन जिलों में किसानों ने सबसे अधिक आत्महत्याएं की हैं और रेखांकित करने योग्य है कि इन किसानों के पास पांच से छः हेक्टेयर या उससे भी अधिक भूमि थी। इनमें से बहुत से ऐसे किसानों को इस छूट का लाभ नही मिल सकेगा जबकि वे अन्य महाजनों इत्यादि से लिए गए ऋणों का 75 प्रतिशत चुकाने में भी असमर्थ हैं।

यूपीए सरकार इन प्रभावित ऋणी किसानों को राहत प्रदान करने के लिए गम्भीर है। इसे एक ऋण राहत आयोग का गठन करना चाहिए जैसा कि वाम दलों ने मांग की है। आयोग उन संकटग्रस्त क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में रहने वाले संकटग्रस्त किसानों को पहचाने और उसी के अनुसार राहत प्रदान कर सकता है। यह उन किसानों को भी राहत प्रदान कर सकता है, जिन्होंने निजी महाजनों से ऋण लिया हो। ऐसा ही ऋण राहत आयोग केरल में वामपंथ सरकार द्वारा गठित किया गया था और इससे समस्याएं सुलझाने सफलता भी प्राप्त हुई। जिस वक्त, अन्य राज्यों में किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, उस समय केरल में एलडीएफ सरकार, जो मई 2006 में सत्ता में आई, 2007 के मध्य तक किसानों द्वारा आत्महत्याएं रोकने में सफल रही। वित्त मंत्री ने किसानों को महाजनों से राहत प्रदान करवाने की मांग से अपना पल्ला झाड़ लिया है, और महाजनों द्वारा ऊँची ब्याज दर पर ऋण रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी।

इस प्रकार की ऋण माफी कुछ परिस्थितियों में ही लाभदायक हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को पुनः ऋणग्रस्त न होना पड़े, सरकार उन्हें दीर्घकालीन राहत नही पहुंचा पाई है। सिंचाई पर सार्वजनिक व्यय की बढ़ोतरी, कीमतों में स्थिरता, फसल का इंश्योरेंस इत्यादी द्वारा खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बजट कोई फंड उपलब्ध नही कराता। स्वामीनाथन कमेटी में रेखांकित किया गया कि टैक्नोलॉजी से बंजर भूमि पर 200 प्रतिशत से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। जैसा कि इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नही कराए गए; और सिंचाई के लिए आबंटन कम हुआ। इससे भी अधिक विचार का मुद्दा यह है कि सरकार ने किसानों और मजदूरों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की है। सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचने के नव उदारवादी लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए यह इस योजना को एक बहाने के रूप में प्रयोग करने का प्रयत्न कर रही है। ऋण माफी योजना को वित्त प्रदान करने के

लिए, प्रधानमंत्री द्वारा पहले ही सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण करने की बात की जा चुकी है।

जनता द्वारा झेली जा रही एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है – **कीमत वृद्धि** और वह भी मुख्य रूप से चावल, गेहूं, दाल तेल इत्यादी जैसे सभी खाद्य पदार्थों पर। परन्तु जनता को कीमत वृद्धि की समस्या से राहत दिलवाने के लिए बजट में कोई प्रावधान नही किया गया। यूपीए सरकार ने, राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने, भोजन और पोषण सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध ली थी। भूमंडलीयकरण की आंधी में एनएसएसओ के आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रति व्यक्ति कपड़ा उपभोग और भोजन और कैलोरी में गिरावट आ रही है। 1993–94 में 2400 कैलोरी न ले पाने वाली ग्रामीण जनसंख्या 75 प्रतिशत था और 2004–05 में 87 प्रतिशत तक पहुंच गया। मुम्बई जैसे शहर में 1993–94 में 2100 कैलोरी भी न ले सकने वाली जनसंख्या 53.5 प्रतिशत थी और अब यह बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया है। जनता को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और इसका प्रसार करने के लिए आबंटन में वृद्धि की आवश्यक्ता थी। परन्तु सरकार ने ऐसा कुछ भी नही किया। खाद्य सब्सिडी पर किए गए आबंटन में वृद्धि, सरकार द्वारा प्रोजैक्टिड इन्फलेशन रेट से कम है जिसका असल अर्थ है गिरावट।

अन्य संबंधित मुद्दा है **विश्व मानव सूचकांक में भारत का गिरता स्तर,** जिसमें बच्चों का कुपोषित और कम वजन के बच्चों का होना, शिशु और बाल मृत्यु दर, अशिक्षा इत्यादी की बहुत अधिक होना। परन्तु इस मुद्दे से संबंधित **समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)** के लिए बहुत ही कम राशि आवंटित की गई। यूपीए सरकार आईसीडीएस को सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिसम्बर 2008 तक, सभी रिहायशी स्थानों पर आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का आदेश दिया है। परन्तु आईसीडीएस के लिए आवंटन में केवल 852 करोड़ रू की वृद्धि की गई। अब तक आधे से भी अधिक बच्चों को आईसीडीएस के अन्तर्गत लाना शेष है। और इस प्रकार के आबंटनों से तो आईसीडीएस के सर्वव्यापीकरण में दशकों लग जाऐंगें। यद्यपि शिक्षित और कुशल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाकर 1500 रू कर दिया गया है, परन्तु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एनआरईजीए के अन्तर्गत अकुशल कार्यकर्ताओं को भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से अधिक वेतन मिल रहा है। और सहायिकाओं के लिए बढ़ाकर अभी तक 750 रू प्रतिमाह ही किया गया है। आईसीडीएस भी निजीकरण की चपेट से बाहर नही है। महिला और बाल विकास मंत्री पहले ही आईसीडीएस में सार्वजनिक – निजी भागीदारी की घोषणा कर चुकीं हैं और आंगनवाड़ी परियोजनाओं को गोद लेने के लिए कोर्पोरेटों को आमंत्रित कर चुकी हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) सरकार का अन्य एक कार्यक्रम है और इसके लिए भी बजट में पर्याप्त मात्रा में संसाधन मुहैया नही कराए गए हैं। आईसीडीएस की ही तरह, इस कार्यक्रम में भी मामूली वेतन पर महिला मजदूर कार्य कर रही हैं और उनकी कामकाजी स्थिति आंगनवाड़ी कर्मचारियों से भी बदतर है। यूपीए सरकार ने *"कम से कम जीडीपी का 2–3 प्रतिशत सार्वजनिक व्यय पर बढ़ाने"* की प्रतिबद्ध ली थी, परन्तु इस बजट में एनआरएचएम पर आबंटन कम किया गया है। **सर्व शिक्षा अभियान** पर खर्च घटा दिया गया; प्राथमिक शिक्षा पर व्यय स्थिर है। सरकार ने **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम** के तहत सभी जिलों को कवर करने की घोषणा की थी, परन्तु इसके लिए केवल 20 प्रतिशत की वृद्धि आबंटित की गई है। **असंगठित क्षेत्र मजदूरों** के लिए बजट में वास्तविक तौर पर केवल कुछ समाप्त की जा चुकी समाज कल्याण योजनाओं को पुनः आरम्भ करने की घोषणाओं के अलावा कुछ भी नही है।

बजट में आयकर की सीमा बढ़ाकर 1,50,000रू कर दी गई और 1,50,000रू से 5,00,000रू तक की राशि पर आय कर की दर में भी कमी कर दी गई है, जोकि वेतन पाने वाले श्रमिकों को राहत पहुंचाएगा। सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से लाभ मिलेगा।

परन्तु अधिकतर जनसंख्या, मुख्य रूप से गरीब और असंगठित वर्ग 'केंद्रीय' बजट में मिलने वाली राहत की सीमा के बाहर ही छोड़ दिया गया। यह बजट एक अन्य साक्ष्य है, कि जरूरतमंद के लिए वित्त मंत्री और यूपीए सरकार नव उदारवादी ऐजेंडे से बंधे हुए हैं। असल बात है कि जनता के बीच बजट को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने किया दिल्ली को लाल

देश की राजधानी दिल्ली में खासतौर से संसद के अधिवेशनों के दौरान धरने और प्रदर्शन आम बात हो जाते हैं। लेकिन 18 फरवरी को दिल्ली में एक अनोखा प्रदर्शन हुआ। लाल और सफेद वर्दी, में हाथों में सीआईटीयू के लाल झंडे और सिर पर आइफा लिखित लाल टोपियां पहने हुए दस हजार से भी अधिक आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांगों के नारे लगाते हुए मार्च किया। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और पश्चिम बंगाल जैसे 21 राज्यों से आई आंगनवाड़ी कर्मचारियों की इस लाल धारा ने रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक मार्च किया। इस मार्च में जम्मू और कश्मीर के साथियों को बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद होने के कारण वापस लौटना पड़ा और त्रिपुरा के साथी 23 फरवरी को राज्य विधानसभा चुनावों के चलते भाग नही ले सके। इन सबमें रेखांकित करने लायक था, कि हिन्दी भाषी राज्यों के आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से भारी समर्थन मिला। वे लाल साड़ियां और कुर्ते पहनकर बहुत ही उत्साहित थीं।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन (आइफा) के झंडे तले दिल्ली में इकट्ठा हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को अपनी उन मांगों के साथ एक ज्ञापन पुनः प्रस्तुत करना चाहते थे, जोकि फैडरेशन पिछले कई वर्षों से उठा रही है। उन्होंने पूरे देश के आंगनवाड़ी कर्मचारियों, लाभार्थियों और आम जनता से करीब दो लाख हस्ताक्षर एकत्र किए, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि इन मांगों के लिए उन्हें कितना जबर्दस्त समर्थन हासिल है। परन्तु प्रधानमंत्री उनकी मांगों को सुनने के लिए दो मिनट का भी वक्त नही निकाल सके। प्रधानमंत्री के इस रवैये से निराश होकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार का पुतला जलाकर अपना रोष प्रदर्शित किया।

जंतर मंतर पर हुई बैठक की अध्यक्षता, आइफा अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा ने की। उन्होंने, गांवों, कस्बों और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन परिवारों की महिलाओं और बच्चों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाली आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के प्रति सरकार के इस प्रकार के रवैये की आलोचना की। "पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप" सार्वजनिक – निजी भागीदारी के नाम पर आईसीडीएस का पिछले दरवाजे से निजीकरण करने के सरकार के प्रयत्नों की उन्होंने कड़ी निन्दा की और सरकार की ओर से इस प्रकार के कदम उठाने पर संघर्ष और तेज करने की चेतावनी दी।

सीआइटीयू के महासचिव एवं संसद सदस्य मोहम्मद अमीन बताया कि उन्होंने संसद में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगें उठाईं। परन्तु सरकार, जिसके सामने कोई वित्तीय समस्या नही है, अमीरों को तो भारी रियायतें और करों में छूट दे रही है, लेकिन गरीब आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगें सुनकर आर्थिक संसाधनों की कमी का राग अलापने लगती है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार, भाजपा नीत एनडीए सरकार की ही तरह मजदूर और जनता विरोधी नीतियों का अनुसरण कर रही है। यदि यह एनसीएमपी में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा नही करेगी, तो इसे भी एनडीए सरकार की ही तरह हार का मुंह देखना पड़ेगा।

सीपीआई(एम), पोलितब्यूरो सदस्या एवं सांसद बृंदा कारात ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को उनकी उचित मांगों पर संघर्ष करने के लिए बधाई दी। उन्होंने सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार हमेशा की तरह संसद में वही उत्तर देती है कि समीक्षा कमेटी की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है, जबकि समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट बहुत पहले ही जमा की जा चुकी है। उनके नेतृत्व में फैडरेशन के प्रतिनिधिमंडल को एक साल पहले भी प्रधान मंत्री ने पुनः आश्वासन दिया था, उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री द्वारा दि गए आश्वासनों पर सरकार ने कोई कदम नही उठाया है। उन्होंने महिला व बाल विकास मंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा और इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी ने जवाब दिया कि सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और और कामकाजी परिस्थितियों

को सुधारने पर विचार कर रही है। और यह जवाब मिले हुए भी लगभग डेढ़ वर्ष हो चुका है परन्तु अब तक इस पर कुछ भी नही किया गया है। और दूसरी ओर आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर काम का बोझ भी बढ़ाया जा रहा है। बृंदा कारात ने आश्वासन दिया कि वह स्वयं और उनकी पार्टी आने वाले बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाऐंगे और अपने अपने दलों के सभी सांसदों का समर्थन हासिल करेंगें।

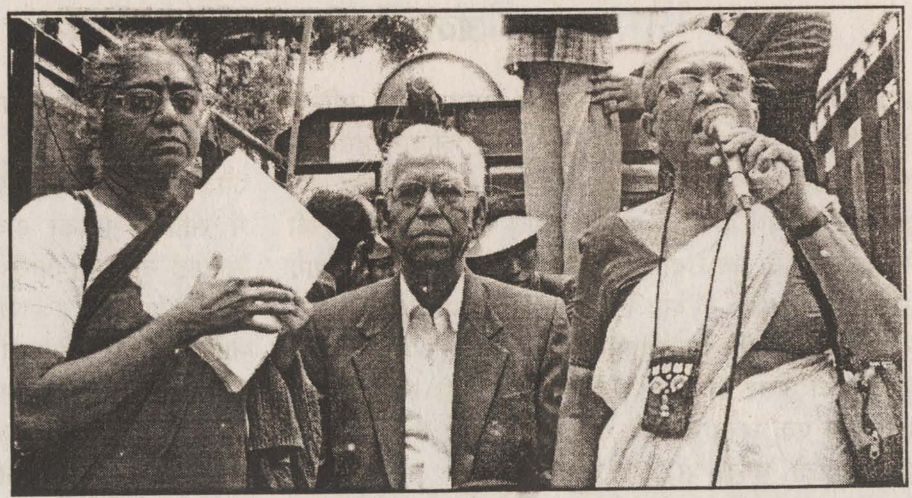

आइफा अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा, रैली को संबोधित करते हुए

सीआइटीयू सचिव एवं संसद सदस्य तपन सेन ने सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी तथा कोर्पोरेटों की ओर से आंगनवाड़ी परियोजनाओं को "गोद लेने" के नाम पर सरकार द्वारा आइसीडीएस का निजीकरण किए जाने की कोशिशों का जोरदार विरोध किया।

एडवा की ओर से संसद सदस्या, पी सती देवी, ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघर्ष में अपना पूरा समर्थन जताया। सीआईटीयू सचिव दीपांकर मुखर्जी और फैडरेशन के अन्य नेताओं ने भी जनसमूह को संबोधित किया।

18–19 फरवरी को बीटी रणदिवे भवन, दिल्ली में फैडरेशन की कार्यकारिणी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा दिए आश्वासनों को पूरा करने के लिए सरकार पर और भी दबाव बनाने के प्रयत्न करने का निर्णय लिया गया। 29 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट में सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर न मिलने पर, 1 से 7 मार्च 2008 को संगठित क्षेत्र और परियोजना स्तर पर पुतले जलाना, प्रदर्शन/ धरना इत्यादि कार्यवाहियां करने के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों का आह्वान किया गया था। और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के नाम पर आईसीडीएस का निजीकरण और कोर्पोरेटों की ओर से आंगनवाड़ी परियोजनाओं को "गोद लेने" की सरकार की गतिविधियों का विरोध करने का भी निर्णय लिया गया।

कार्यकारिणी कमेटी में विश्व बैंक की निर्देशों पर विभिन्न राज्यों में आईसीडीएस में आए विभिन्न बदलावों पर चर्चा की गई। और यह पाया गया कि आमतौर पर आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली में सुधार की बजाय, तनाव बढ रहा है, आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर काम का बोझ भी बढ़ाया जा रहा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अधिक उत्पीड़न हो रहा है; इससे भ्रष्टाचार और पोषण की अनियमित पूर्ति को बढ़ावा भी मिल रहा है।

कार्यकारिणी कमेटी ने निर्णय लिया कि वे सचिवमंडल की आगामी बैठक में आईसीडीएस में आए इन बदलावों के प्रति फैडरेशन के रूख को ठोस रूप देंगे। उन्होंने सरकार के इस प्रकार के रवैये की निन्दा की जोकि स्टेक होल्डर्स के नाम पर विश्व बैंक के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और कुछ शिक्षाविदों के साथ विचार विमर्श करने में लगी हुई है और उनकी सिफारिशों पर आधारित बदलाव कर रही है। इस प्रक्रिया में सरकार द्वारा असल स्टेक होल्डर्स – आंगनवाड़ी कर्मचारियों को अनदेखा किया जा रहा है जो कि आईसीडीएस के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं रहे हैं। इस प्रक्रिया में सरकार, इस परियोजना के सबसे बड़े लाभार्थी महिलाओं, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, खेतिहर मजदूर, गरीब किसानों को भी अनदेखा कर रही हैं। कार्यकारिणी कमेटी ने अपनी मांगों को पुनः दोहराया कि सुधार के नाम पर आईसीडीएस में बदलाव लाने से पूर्व सरकार को आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संगठनों, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, और महिलाओं और खेतमजदूरों और किसान संगठनों जैसे लाभार्थियों के संगठनों के साथ विचार विमर्श करें।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

आज कौन नही जानता कि 8 मार्च, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप मनाया जाता है। बिल्कुल, लंकिन हममें से बहुत से लोग अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सही अर्थ और पृष्ठभूमि के बारे में नही जानते। यह कोर्पोरेट जगत की मेहरबानी हैं कि नव उदारवादी नीतियों के लागू होने के बाद मुख्य रूप से 1990 के बाद से वे इस दिवस पर इतना अधिक ध्यान देने लगे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस और वैलेंटाइंस डे के बीच अंतर ही समाप्त हो गया है। यह लाभ अर्जित करने का एक अन्य अवसर बनकर रह गया है।

इतिहास के पन्नों से

बीसवीं शताब्दी से पूर्व औद्योगिक विश्व में प्रसार और उपद्रव का समय था। इन वर्षों में प्रजातंत्र संबंधी विचारधारा का तेजी से उदगम देखा गया। 1900 के पहले दशकों में, महिला विरोधी और चहुं ओर व्याप्त गैर बराबर दर्जे ने महिलाओं की आवाज बुलंद की और महिलाओं ने दन नीतियों के खिलाफ अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1908 में 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क की गलियों में मार्च किया। उन्होंने न केवल रोजमर्रा के मुद्दों को उठाया बल्कि वोट देने के अधिकार को भी पहली बार अपनी मांग में शामिल किया।

1910 में पहला समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय महिला अधिवेशन कोपेनहेगन में हुआ, जिसमें प्रसिद्ध जर्मन समाजवादी विचारक क्लारा ज़ेटकिन ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। 17 देशों से लगभग 100 महिलाओं ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया। निर्णय के लागू करने के लिए 19 मार्च 1911 को ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में पहली बार यह दिवस मनाया गया। इन अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की रैलियों, महिलाओं के काम के अधिकार, मताधिकर, प्रशिक्षण, सार्वजनिक दफ्तरों इत्यादि में महिलाओं के साथ किए जा रहे भेदभावों को समाप्त करने के लिए चलाए गए अभियानों में 10 लाख से अधिक महिलाओं और पुरूषों ने भाग लिया। एक सप्ताह के भीतर ही, 25 मार्च को न्यूयॉर्क में एक फैक्ट्री में आग लग गई और उसमें 140 से अधिक कामकाजी महिलाओं को जान से हाथ धोना पड़ा। उनमें से बहुत सी महिलाएं इटैलियन और जेविश थीं। इस घातक घटना ने श्रम कानूनों और महिलाओं की कामकाजी स्थिति की ओर विश्व का ध्यान खींचा।

समानता – अभी तक दूर के ढ़ोल

विश्व के महिला संगठन, सरकारें, गैर सरकारी संगठन प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का बड़े पैमाने पर सम्मान करते हुए 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। हम कह सकते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं ने जीवन के प्रत्येक हिस्सें में सक्रिय भूमिका अदा की है। परन्तु, दुर्भागयवश यह सच्चाई नही है। आज भी महिला मजदूरों को समान वेतन नही दिया जाता। आज तक उद्योग जगत और राजनीति में महिलाओं को समानता हासिल नहीं है। विश्व में आज भी पुरूषों की तुलना में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उन पर होने वाली हिंसा का बखान बद से भी बदतर है।

आधुनिक संस्कृति में

पूर्व समय में महिलाओं के दर्जे की मांगें महिला व पुरूष दोनों ही मिलकर उठाते थे। धीरे धीरे इस दिवस की प्रकृति और विचार दोनों ही बदल गए हैं। उस समय के बलिदान और संघर्ष को याद करने की बजाय अब यह दिवस लाभ अर्जित करने का अवसर बन गया है। इसलिए इन दिनों अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के मुद्दों पर कुछ सेमिनार किए जाते है। दुकानों पर सामानों में छूट और महिलाओं की सुंदरता के उपचार किए जाते हैं। महिला होने के नाते पुरूष उन्हें फूल व अन्य उपहार भेंट करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विचारधारा धीरे धीरे सरकारों, प्रशासनों द्वारा लाभ अर्जित करने के दिवस के रूप में बदल गई है।

न्यूयॉर्क रैली की शताब्दी

यह वर्ष न्यूयॉर्क रैली का शताब्दी वर्ष है, इसलिए इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व और इसे किस प्रकार मनाया जाएगा, यह जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। और इसी जिज्ञासा के साथ इंटरनेट खंगालने पर अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2008 के नाम से एक वेबसाइट मिलेगी। जहां बहुत से गैर सरकारी संगठन, कार्यक्रम आयोजक, महिला संगठन, सरकारों द्वारा उनके कार्यक्रम पंजीकृत किए गए हैं। परन्तु उनमें से बहुत से कार्यक्रम संगीत, कला, फिल्म इत्यादि के बारे में हैं। कार्यक्रमों की सूची देखने पर पता चलता है कि बहुत से कार्यक्रम आयोजकों के लिए तो मात्र धन कमाने का एक सुनहरा अवसर हैं।

यह जानकर बहुत ही दुःख हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की छवि एक क्रांतिकारी दिवस से बदलकर आनन्द और एक त्यौहार जैसी हो गई है। हमारी कामकाजी बहनों और भाईयों के संघर्ष और बलिदान को हम अनदेखा कर रहे हैं और भूल गए हैं, लेकिन उन्ही के कारण आज हमें प्राप्त सभी अधिकार मिल सके हैं।

पंजाब में मनाया गया अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

सीआईटीयू पंजाब राज्य कमेटी ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही जोर शोर से मनाया। **लुधियाना** में बस स्टैंड के पास स्थानीय छतर सिंह पार्क में एक विशाल रैली की गई। इस रैली में लुधियाना और करीब के जिले से 3000 से भी अधिक आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं और अलग से लगभग 300 औद्योगिक मजदूरों ने भाग लिया। पूरा रैली स्थल सीआईटीयू के झंडों व बैनरों और चारों ओर महिलाओं के अधिकारों को रेखांकित करते हुए नारों से सजा हुआ था। सीआईटीयू कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपने परिवार के सदस्यों सहित गीतों, कविताओं इत्यादि द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन की कोषाध्यक्षा ए आर सिंधु ने रैली को संबोधित किया और 8 मार्च का संघर्ष याद दिलाया। सीआईटीयू के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष और राज्य महासचिव रघुनाथ सिंह, आंगनवाड़ी मुलाजिम युनियन की अध्यक्षा ऊषा रानी, महासचिव हरजीत कौर एवं कोषाध्यक्ष सुभाष रानी ने भी रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर सीआईटीयू की लुधियाना कमेटी ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी भागीदारों को **"लड्डू"** बांटे।

पंजाब सरकार के समाज कल्याण विभाग ने भी लुधियाना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे संबंधित मंत्री ने संबोधित किया। सीआईटीयू कार्यक्रम के बारे में जानकर और डरकर कि सभी आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं यूनियन के कार्यक्रम में भाग लेंगीं, सरकार ने (अखबारों में विज्ञापन के तौर पर) घोषणा की कि सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को यातायात भत्ता और एक सौ रू दिए जाएंगे! अपनी वर्ग चेतना को सिद्ध करते हुए जिले के कुछ आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को छोड़कर सभी ने यूनियन के कार्यक्रम में भाग लिया।

रोपड़ में 200 से अधिक आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने सीआईटीयू कार्यकर्ताओं के साथ रविदास मंदिर में एक रैली आयोजित की। सीआईटीयू राज्य कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य गुरदेव सिंह, आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन की उपध्यक्षाएं गुरदीप कौर, भिंदर कौर, गुरप्रीत कौर, और गुरमीत कौर ने रैली को संबोधित किया।

होशियारपुर में महिला दिवस मनाने के लिए तीन विभिन्न स्थानों पर रैलियां आयोजित की गईं। गांव सतनौर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्यरत और ईंट भट्ठा उद्योग में कार्यरत 200 से अधिक महिलाओं ने सार्वजनिक बैठक आयोजित की और कामकाजी महिलाओं की मुख्य मांगों को दोहराया। सीआईटीयू राज्य सह सचिव मोहिन्दर कुमार, राज्य कार्यकारिणी सदस्य सोमनाथ, नीलम रानी ने रैली को संबोधित किया। होशियार पुर में 150 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सीआईटीयू कार्यकर्ताओं ने शहीद उधम सिंह पार्क में रैली कर महिला दिवस मनाया।

राजपुरा में की गई सार्वजनिक बैठक में विभिन्न औद्योगिक केंद्रों से लगभग 150 महिलाओं और परिवार के सदस्यों ने भाग लिया।

अमृतसर में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई जिसमें लगभग 300 सीआईटीयू कार्यकर्ताओं ने भी लिया जिसमें 30–40 महिला कार्यकर्ताएं शामिल थीं।

चंडीगढ़ में चीमा भवन में एक हॉल मीटिंग आयोजित की गई। लगभग 150 महिलाओं और सीआईटीयू कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में भाग लिया।

आसरों, पटियाला, छगरन, नंगल, बटाला और सुनाम में भी रैलियां और हॉल बैठकें आयोजित की गईं।

सांप्रदायिकता और महिलाएं: क्या पुराना और क्या नया

"मै अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी" कहती हैं, **बिल्कीस बानो**। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान 17 पुरूषों द्वारा सामूहिक रूप से उनकी अस्मत लूटी गई। और अपने अपार साहस के कारण ही, उनमें से 11 हमलावरों को मुम्बई सिटी सैशन कोर्ट में सजा दिलवाने में कामयाब हो सकीं। हमें यह समझना होगा कि अब भी उन्होंने ऐसा क्यों कहा और उनके लिए इसके मायने क्या हैं?

जब वे पांच माह की गर्भवती थीं, उस समय 11 हमलावरों को उम्रकैद की सजा हुई, और न्यायाधीशों का यह मामना था कि यह काफी बड़ा अपराध नही है। बयानों से मुकरने वाले डाक्टर और पुलिस अभी तक आजाद घूम रहे हैं। साक्ष्यों के अभाव में गुजरात सरकार द्वारा बंद किए गए और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के दखल के पश्चात् मुम्बई स्पेशल कोर्ट में पुनः आरम्भ किए गए, 1600 केसों में एक केस है– बिल्किस बानो। **बिल्किस बानो के लिए गुजरात में न्याय अब तक संभव नहीं है।** इन वर्षों में उसने 300 बार अपना घर बदला, फैंसले के बाद उसें अभी तक धमकियां मिल रही हैं, और उसका अपने गुजरात स्थित घर जाने से डरना उचित ही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गुजरात सरकार की है जो सरकार 2002 में मुस्लिम हत्याओं और उसे न्याय देने से मुकर गई थी।

हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि इस केस में जो लोग दोषी पाए गए, वे समाज की नजर में दोषी और आरएसएस, विश्व हिन्दु परिषद और बजरंग दल जैसे दक्षिणपंथी सांप्रदायिक–फांसीवादी संगठनों के सदस्य थे, और न्यायालयों से बाहर आकर उन्होंने बहुत ही गर्व से कहा कि उन्होंने महिलाओं को एक "सीख" दी है।

हम पूछना चाहेंगे कि "सीख" किसलिए? जिंदा रहने के लिए? मुस्लिम होने के लिए? एक महिला होने के लिए, जिसने मुस्लिमों को सीख दी? आखिर किसलिए? क्या वह और उस जैसी अन्य महिलाओं ने इस प्रकार के विरोधों को ललकारने का साहस किया?

बढ़ती हिंसाएं, उदारवादी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं के पुनः उठ खड़े होने के कारण पिछले दो दशकों से आ रहे बदलावों का ही एक हिस्सा है। दिनों दिन हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है।

भारत में अस्सी के दशक में भाजपा ने एक शक्तिशाली राजनैतिक दल बनने के लिए अल्पसंख्यकों के विरोध में, न केवल असहनीय स्थिति बल्कि उनके खिलाफ हिंसा भी करने वाले, अधिक शक्तिशाली जन संगठनों, के साथ गठबंधन कर अपनी दो सीटों की बढ़ोतरी की है। कांग्रेस स्वयं भी ऐसे अनुभवों में पीछे नहीं हैः गुजरात इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है।

पिछले ढ़ाई दशकों में अल्पसंख्यकों पर सांप्रदायिक हमले आजकल हिंसा का एक प्रचलन बन गया है जैसे मेरठ, भागलपुर में मुस्लिमों की हत्याएं, असम, सूरत, मुम्बई में नील और 1984 में सिखों पर हुए हमले। इन सभी में राज्य प्रशासन और पुलिस भी शामिल है। चाहे वह मूकदर्शक बने हुए हों, परन्तु अधिक से अधिक संख्या में वे इसमें भागीदार हैं। गुजरात इस प्रकार की पहली घटना नही है। हां, यह भिन्न प्रकार का वाकया अवश्य है लेकिन बिल्कुल अलग नही। यह सभी दंगे नही बल्कि किसी जाति को समाप्त कर देने की पूर्व निर्धारित योजनाएं है।

1980 और 1990 के अंत में हिंदुत्व दलों ने स्वयं इन प्रक्रियाओं को दोहराया और अब सांप्रदायिक हिंसा और महिलाओं को नए और भिन्न तरीकों से सांप्रदायिक राजनीति में बदल दिया है। एक ओर तो कुछ महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं तो दूसरी ओर शिकार सांप्रदायों की महिलाएं अकल्पनीय हिंसा झेलती हैं।

उन दंगों में महिलाओं और उनके घरों इत्यादी को जला दिया गया, महिला व पुरूष अलग हो गए, कुछ पुरूषों को जला दिया गया और कुछ महिलाओं व बच्चों को कठिन जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ दिया गया (जिसमें विभाजन हिंसा भी शामिल है)। मेरठ में पाक द्वारा निन्दनीय नरहत्या में भी ऐसा ही हुआ। पुरूषों को ट्रकों में डालकर आग लगाकर हत्या कर दी गई। दिल्ली में 1984 में ऐसा ही हुआ। परन्तु मुम्बई, सूरत और गुजरात 2002 की घटनाएं कुछ अलग हैंः महिलाओं की अस्मत लूटी गई, इस कार्यवाही को फिल्माया गया और जीत के जश्न की तरह दिखाया गया, महिलाओं को यातनाएं दी गईं और बच्चों के साथ उन्हें जिंदा आग में फेंक दिया गया। इसाई स्कूलों की गतिविधियों में शामिल कुछ धार्मिक योगिनियों के साथ भी ऐसा ही हुआ, जोकि आदिवासियों के बीच कार्य करती थीं।

दूसरी ओर, सांप्रदायिक और फंडामेंटलिस्ट फोर्सिस भी जी जान से महिला कार्यकर्ता पैदा करने के प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाकर और आधुनिक बनाकर, दक्षिण पंथी मुद्दों पर, उन्हें हिन्दु राष्ट्र के सक्रिय भागीदार बनाया जा सके। इसके लिए भजन मंडलियों, इतिहास पुनः लिखना और उनकी घृणा का

प्रचार करना आदि कार्रवाईयों के ज़रिये, समाज में हिंदुत्व का प्रचार करने में निर्णायक भूमिका निभाने में महिलाओं को उपयोग करने का काम कर रहे हैं। और बच्चों को भी इन्हीं की परिस्थितियों में ढ़ाल रहे हैं। कुछ महिलाएं दुर्गा वाहिना की सदस्य बनकर हिंदुत्व संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसा में भी शामिल हैं। 2002 के दौरान बहुत सी महिलाओं ने मुस्लिम महिलाओं पर नृशंसता को न केवल उत्साहित किया बल्कि उसकी प्रशंसा भी की। और तो और कुछ महिलएं अहमदाबाद और सूरत में जलाई गई मुस्लिम दुकानों को लूटती हुई देखी गईं। एक ओर वे खरीददारी में मग्न थीं और दूसरी ओर शहर धधक रहा था।

बिल्कुल, यह एक नया दीर्घविषय है: कि महिलाओं का एक वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इस असुरक्षा के समय में – इस निर्भरता और सुरक्षा के क्या मापदंड है?– उस जानकारी के अलावा कि वे और उनके पुरूष और उनके व्यवसाय को उसी प्रशासन द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है जोकि अल्पसंख्यकों पर हिंसात्मक कार्यवाईयां और उत्पीड़न कर रहा है।

न्याय के लिए महिलाओं में संघर्षों के प्रति ऐसी सक्रियता पहले कभी दिखाई नहीं दी। बहुत सी महिलाएं धमकियों का सामना करते हुए न्यायालयों में न्याय के लिए साहसपूर्वक संघर्ष कर रहीं हैं। लाखों महिलाओं ने अपने बच्चों को उजड़ने से बचाने के लिए अपनी जिंदगी ही दांव पर लगा दी, अपने परिवारों की पुनः शुरूआत की और विरोधी परिस्थितियों में जी भी रही हैं। इस बारे में दिल्ली में 1984 की नृशंस हत्याएं और मुम्बई और गुजरात के पीड़ितों का तुरन्त ही स्मरण हो उठता है।

पिछले दशकों में असमान रूप से साथ हैं: अल्पसंख्यक समुदायों के पुरूष, अपनी बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के सहायक हैं, मूकदर्शक बनकर पीछे नही हटते। ''मेरे पति याकूब ने मुझे हिम्मत दी। न्याय के लिए लड़ते रहने के लिए उन्होंने मेरा साहस बंधाया और आगे आने वाले संकटों से लड़ने के लिए मुझे तैयार भी किया'' कहती हैं बिल्कीस बानो। महिलाओं में, बहुत कठिनाइयों का सामना कर सार्वजनिक स्थलों पर महान भूमिका निभाने और समानता की भावना आई है।

बचाव और सुरक्षा की आवश्यकता ने महिलाओं को और अधिक सीमाओं में बांध दिया है, सामुदायिक दंगे, पहचान के दावे और बच्चों को स्कूलों से निकालना इत्यादी घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं को अधिक मजबूत आधार वाले संगठनों की बजाय सामुदायिक संगठनों में शामिल होने के लिए उत्साहित किया जाता है। ऐसा कश्मीर में भी देखा जा सकता है।

अंत में, रेखांकित किया गया कि राज्यों ने महिलाओं को न्याय देने और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने की भी जिम्मेदारी लेने से स्वयं को मुक्त किया है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि किसी जाति को लक्ष्य बनाकर समाप्त करने के षड़यंत्र रचाने वालों में किसी एक को भी सजा नही दी गई, जबकि इसमें शामिल व्यक्तियों और संगठनों को पहचानकर, पूछताछ रिपोर्ट में वर्णन भी किया गया था। वे दोषी बहुत ही गर्व से दावा करते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा, हिन्दु राष्ट्र की ओर उनका एक हथियार है। इन कार्रवाईयों से प्रभावित जनता में महिलाएं पचास फीसदी प्रभावित हैं। वे शिकार, भी हुई हैं और संघर्ष कर भी रही हैं, सहअपराधी भी हैं और विरोध भी कर रही हैं। नित्य रूप से कहा जा सकता है कि स्थिति विवेचनात्मक है – शिकार कहां जाते है? किसके लिए बदलते हैं? पिछले कुछ दशकों की तुलना में आज सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष कठिन है, क्योंकि यह दानवी शक्तियां बढ़ती ही जा रही हैं।

कामरेड के के बख्शी नहीं रहे

जम्मू एवं कश्मीर में श्रमिक आंदोलन के प्रमुख नेता कामरेड के के बख्शी नहीं रहे। उनका 19 दिसम्बर, 2008 की सुबह देहांत हो गया। वह सीआइटीयू की जम्मू एवं कश्मीर राज्य समिति के महासचिव तथा सीआइटीयू जनरल कौंसिल के सदस्य थे। कामरेड बख्शी के नेतृत्व में सीआइटीयू की राज्य समिति ने जम्मू एवं कश्मीर में अपनी स्थिति मजबूत की थी और राज्य के कई नए क्षेत्रों में संगठन का प्रसार हुआ था। वह हृदय रोगी थे और उनकी बीमारी बेहद गम्भीर थी, ऊपर से बढ़ती आयु और स्वास्थ्य की दूसरी समस्याएं इस पर भी उनके काम एवं गतिविधियों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई और न ही वह कभी प्रतिकूल स्थितियों में विचलित हुए। सीआईटीयू सैक्रेटेरिएट की ओर से उनके देहांत पर शोक व्यक्त किया गया और दिवंगत साथी के परिजनों और जम्मू एवं कश्मीर के साथियों व उनके सहकर्मियों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की गई। अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति तथा उसका मुख पत्र ''पत्रिका'' दिवंगत नेता को पूरे आदर के साथ श्रद्धांजलि भेंट करता है।

हरियाणा में तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन

पानीपत में 10 मार्च 2008 को रोजी, रोटी व आवास के मुद्दे पर सीआईटीयू जिला कमेटी के नेतृत्व में तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। पहले दिन, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैल्पर्स यूनियन हरियाणा, वन विभाग मजदूर यूनियन, पार्ट टाइम कर्मचारी यूनियन, एसडी शिक्षण संस्थान, चतुर्थ श्रेणी व नान टीचिंग स्टाफ यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के लिए डीसी कार्यालय पर विशाल विरोध प्रदर्शन कर उपायुक्त महोदय को लिखित ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी यूनियन की महिला कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन व अपने विभाग के प्रति भारी रोष व्यक्त करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विभागीय उत्पीड़न बंद हो और आंगनवाड़ी केंद्रों में पंचायतों का विरोधी हस्तक्षेप किसी भी हालत में सहन नही किया जाएगा अन्यथा यूनियन, सीआईटीयू व सर्व कर्मचारी संघ के सहयोग से आंदोलन तेज करेगी।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू राज्य उपाध्यक्ष आनन्द ज्वारा व जिला सचिव सुनील दत्त ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सीआईटीयू का राष्ट्रव्यापी आंदोलन जारी है। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत 10 से 12 मार्च श्रम कानून न्यूनतम वेतन, ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने, सस्ते दामों पर सभी मजदूरों को राशन देने, आवास का प्रबंध करने आदि मुद्दों को लेकर राज्य स्तरीय प्रदर्शन जारी रहेंगें। 6 अप्रैल 2008 को इन मुद्दों को लेकर हिसार में राज्य स्तरीय विशाल मजदूर अधिकार रैली होगी। उन्होंने पानीपत के लाखों मजदूरों से शोषण के खिलाफ जारी संघर्ष में जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेने का आहवान किया।

आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स यूनियन हरियाणा की राज्य महासचिव सन्तोष रावल ने कहा कि जब से हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को पंचायतों के अधीन किया है, राज्यभर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर हमले व उत्पीड़न तेज हुए हैं। पंचायतें पूरी तरह से भ्रष्ट हैं और महिला विरोधी सामंती चरित्र की हैं जोकि गलत ढंग से आंगनवाड़ी केंद्रों में हस्तक्षेप कर रही हैं। पानीपत जिले में गांव बुढ़शयाम की चार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर गांव की पंचायत द्वारा पूरे षड़यत्र के तहत झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने की घटना सामने आई है। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यूनियन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण व उत्पीड़न किसी भी हाल में बर्दाश्त नही करेगी। प्रदर्शन को सीटू सचिव सदस्य जय भगवान व राम सूरत वन विभाग यूनियन के जिला प्रधान जिले सिंह दहिया, पार्ट टाइम कर्मचारी यूनियन के प्रधान राजकुमार, देवदत्त शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन से राजपाल आदि ने संबोधित किया।

उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कामगार समन्वय समिति के झण्डे तले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं, आंगनवाड़ी कर्मचारियों, भोजन माताओं, आशाओं ने सैंकड़ों की संख्या में यहां के गांधी पार्क में धरना दिया और उसके बाद जोरदार नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। पुलिस ने हाथीबड़कला पर ही इन महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर महिलाओं ने वहीं सड़क पर बैठ कर धरना दिया और आम सभा की। सर्वसाथी सर्वेश्वरी खण्डूरी, जानकी चौहान तथा सीआइटीयू की उत्तराखण्ड राज्य समिति के महासचिव वीरेन्द्र भण्डारी इत्यादि नेताओं ने सभा को सम्बोधित किया।

महाराष्ट्र में जेल भरो आंदोलन

महाराष्ट्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी महिलाओं को एक हजार और सहायिका को पांच सौ रू पेंशन देने की घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र शासन द्वारा निर्णय भी लिया गया किन्तु एक साल बीत जाने के बाद भी अब तक उसे लागू नहीं किया गया।

इस बीच बाल कल्याण मंत्री हर्षवर्धन पाटील समय समय पर आंगनवाड़ी महिलाओं के बैठकें करवाते और ऐलान करते कि आठ दिन में पेंशन का जी. आर. निकाला जाएगा। वे ऐसा करवाकर आंगनवाड़ी महिलाओं से तालियां तो बजवा लेते थे परन्तु वादों को अमल में लेना दूर के ढ़ोल सुहावने जैसा था। इन्हीं कार्यवाहियों के चलते आंगनवाड़ी महिलाओं में आक्रोश बढ़ गया और आंगनवाड़ी महिला संघटना द्वारा जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र शासन के खिलाफ तथा पेंशन योजना को अमल में लाने के लिए इस आंदोलन में चंद्रपूर शहर से हजारों महिलाओं ने भाग लिया और गिरफ्तारियां दीं।

इस जेलभरो कार्यक्रम में चंद्रपूर व गढ़चिरोली जिलों से ग्रामीण तथा शहरी प्रकल्प की लगभग दो हजार आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने भाग लिया। इस जेलभरो कार्यक्रम का नेतृत्व सीआईटीयू के राज्य महासचिव डी एल कराड, सचिव अमृत मेश्राम, चंद्रपूर जिला सचिव शोभा बागवार, गढ़चिरोली जिला सचिव सुशीला भगत तथा रमेश चंद्र दहीवड़े ने किया।

राजस्थान में विधान सभा पर प्रदर्शन

राजस्थान में जयपुर में 11 मार्च को राजस्थान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में तारा नगर जिला चुरू से सैंकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका स्थानीय सहयोगिनियों ने विधान सभा भवन पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को अखिल भारतीय किसान सभा के नेता एवं प्रांतीय अध्यक्ष अमराराम ने सम्बोधित किया। प्रदर्शनकारियों को गिरधारी सिंह, राम रतन बागड़िया एवं अन्य नेताओं ने भी सम्बोधित किया। प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधिमंडल सीआईटीयू प्रदेश सचिव हजारी लाल शर्मा के नेतृत्व में पांच साथियों निर्मल प्रजापत, सुशीला कंवर, सुशीला व्यास, शकुंतला कंवर, गुलाब कंवर सहित, महिला एवं बाल विकास मंत्री कनकमल कटारा से मिला तथा आठ सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। उनकी मांगें थीं – 1) तारानगर में आईसीडीएस का निजीकरण न किया जाए; 2) आंगनवाड़ी कर्मियों को स्थाई किया जाए; 3) आंगनवाड़ी कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए; 4) आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण कराए जाएं; 5) आंगनवाड़ी कर्मियों को प्रांत के बजट में बढ़ाई गई मानदेय राशि का अतिरिक्त भुगतान किया जाए इत्यादी। ज्ञापन पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों का निजीकरण न करने का आश्वासन दिया।

छत्तीसगढ़ में प्रांतीय धरना

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 9 जनवरी 2008 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने करीब दो घंटे तक बूढ़ातालाब के सामने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। मानदेय को लेकर उन्होंने सरकार को जमकर कोसा और अपनी व्यथा बयान की। प्रदेशभर से आए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरनास्थल बूढ़ापार से रैली निकाल अपनी मांगों से शासन को अवगत कराया। उनकी मांगों में ग्रीष्मावकाश व सुपरवाईज़रों के रिक्त पदों पर भर्ती की भी मांग भी शामिल थी। इस रैली में करीब 5000 कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने भाग लिया। रैली को संबोधित करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ के प्रांतीय संयोजक देवेन्द्र पटेल ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका लंबे समय से बहुत ही कम मानदेय व अल्प सुविधा पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी के नकारात्मक व्यवहार पर आक्रोश जताया।

आंध्र प्रदेश में हुई जीत

आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी यूनियन के आवाहन पर 27 फरवरी को राज्यभर से लगभग पचास हजार आंगनवाड़ी सेविकाएं व सहायिकाएं 27 फरवरी 2008 को हैदराबाद में एकत्र हुईं। वे 2004 में विधान सभा चुनावों से पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों से किए गए वादो को पूरा करने की मांग कर रही थीं।

आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं, राज्य कमेटी द्वारा लिए कोटे से अधिक संख्या में इन्दिरा चौक के समीप धरना चौक पर पहुंचीं। झुलसाती गर्मी से बचाव के लिए शामियानों का प्रबंध किया गया। यूनियन की अध्यक्षा ललितम्मा ने धरने की अध्यक्षता की। आइफा की महासचिव हेमलता ने धरने में भाग लेने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी मांगों पर संघर्ष करने के लिए बधाई दी। उन्होंने आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण और स्थाई सेवा बनाने; आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की सेवाओं को नियमित करने; उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने और उनका मानदेय तुरन्त बढ़ाने जैसी मांगों पर, सरकार पर दबाव बनाने के लिए आइफा द्वारा चलाए गए संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने, विकेंद्रीकरण और सार्वजनिक–निजी भागीदारी के नाम पर आईसीडीएस का निजीकरण करने की सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की।

यूनियन की महासचिव पी रोजा ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को अनदेखा करने पर विपक्षी कांग्रेस ने, टीडीपी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। सरकार ने चुनावों से पूर्व वादा किया था कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आई तो वे राज्य बजट से आंगनवाड़ी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान वेतन देंगें। परन्तु चार साल बाद भी राज्य सरकार द्वारा, सेविकाओं को केवल 500 रू और सहायिकाओं को केवल 200रू का भुगतान कर रही हैं। उन्होंने सामुदायिक भागीदारी के नाम पर आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में राजनैतिक दखल की भी कड़ी आलोचना की। राज्य सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों की देखरेख CARE जैसे गैर सरकारी संगठनों को सौंप रही है, जो कि सूचना एकत्र करने के परिप्रेक्ष्य में भटकाऊ प्रश्नों की प्रश्नावली के ज़रिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों की प्रतिष्ठा को तोड़ने के प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बार मंत्री को रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद सरकार की ओर से केवल कोरे वादे ही जारी किए जाते हैं, कोई ठोस आश्वासन नही। वहां एकत्र हुए कर्मचारियों ने उन्हें समर्थन दिया और जब तक राज्य सरकार कोई ठोस आश्वासन न दे वहीं बैठे रहने का निर्णय भी लिया।

सीआईटीयू राज्य कमेटी उपाध्यक्षा एस पुण्यवती ने जन विरोधी नीतियां अपनाने के लिए राज्य व केंद्रीय सरकारों की कड़ी आलोचना की। अध्यक्ष, सीआईटीयू राज्य कमेटी अध्यक्षा सुधा भास्कर, एडवा राज्य कमेटी की उपाध्यक्षा ह्यामावती, और बहुत से जनसंगठनों के नेता जैसे रेसीडेंशियल एरिया ऑर्गेनाइज़ेशन, ट्राइबल पीपुल्स ऑर्गेनाइज़ेशन, एसएफआई, डीवाईएफआई, यूनाइटिड टीचर्स फैडरेशन और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलॉइज़ फैडरेशन इत्यादि ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघर्षों को समर्थन दिया। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलॉइज़ फैडरेशन और यूनाइटिड टीचर्स फैडरेशन ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के इस संघर्ष को आर्थिक समर्थन भी दिया।

दोपहर के समय राज्य सरकार को बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल बुलाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने पुनः वही वादे दोहराए कि उनकी सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएगी परन्तु कब और कितना बढ़ाएगी, इस बारे में कुछ भी नही कहा। राज्य सरकार के इस प्रकार के रवैये से असंतुष्ट होकर यूनियन ने संघर्ष जारी रखने का फैसला लिया।

सीपीआई(एम) राज्य कमेटी सचिव, बी वी राघावुलु, ने संघर्षरत आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बधाई दी और उनकी उचित मांगों को समर्थन दिया। उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघर्ष को भी समर्थन दिया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री राज्यलक्ष्मी ने एक राज्यसभा में कहा कि सरकार, पड़ोसी राज्य सरकारों द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों कों मिलने वाले वेतन का अध्ययन करेगी और अन्य राज्यों से अधिक वेतन भुगतान करेगी परन्तु उन्होंने समय सीमा के बारे में कुछ कहने से इंकार कर दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री राज्यलक्ष्मी, सामाजिक न्याय मंत्री के साथ धरनास्थल पर आईं और आंगनवाड़ी कर्मचारियों से संघर्ष वापस लेने का आग्रह किया परन्तु आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने मांग की कि सरकार को कम से कम राशि और समय सीमा की घोषणा करना होगी अन्यथा उन्होंने घर जाने से इंकार कर दिया।

गौरतलब है कि आंगनवाड़ी कर्मचारी पूरी रात सड़क पर ही सोए और वहीं भोजन भी किया। परन्तु राज्य सरकार से कोई ठोस आश्वासन न पाकर सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों में रोष की लहर फैल गई और उन्होंने 28 फरवरी को राज्य सभा मार्च करने का फैसला लिया। वे बड़ी संख्या में एकत्र होकर बैरिकेड की ओर बढ़े परन्तु पुलिस दल द्वारा उन्हें मार्च करने से रोका गया; उन्हें गिरफ्तार किया; पुलिस ने उनके शामियानों को तोड़ दिया; आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया और वहां से हटने के लिए दबाव बनाया गया।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर पुलिस की दमनात्मक कार्यवाही पर प्रदर्शन, रास्ता रोको, पुतले जलाना, जैसी विरोधी कार्रवाईयां राज्यभर में हुई और सभा में भी इस कार्रवाही की कड़ी आलोचना की गई। अंत में सरकार को मजबूर होकर 300रू आंगनवाड़ी सेविकाओं और 250रू सहायिकाओं के बढ़ाने और गर्मियों की छुट्टियां 15 दिन से बढ़ाकर एक माह करने की घोषणाएं करनी पड़ीं।

क्षेत्रवाद ने फैलाया अपना फन

अबीरा दास

सांप्रदायिक हिंसा काफी नही थी कि मुम्बई में एक अन्य खतरनाक प्रचलन फैल रहा है। क्षेत्रीयता से प्रभावित होकर, उन निर्दोष लोगों के विरूद्ध हिंसा भड़काई, जोकि अपने घरों से दूर रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह कहां की नीति है ? 1960 और 70 के दशकों में शिव सेना ने दक्षिणी भारत के मध्यम वर्ग के लोगों को निशाना बनाया था, अब उससे भिन्न अपने घरों से दूर वहां रोजी रोटी अर्जित करने आए, उत्तरी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के गरीब जनता को।

जिसका प्रारम्भ शिव सेना अध्यक्ष बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे जोकि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का नया नेता भी है, से हुआ। वह उत्तरी भारत की उन गरीब लोगों पर हिंसा भड़काया, जोकि मुख्य रूप से ऑटो और टैक्सी ड्राइवर है, और बहुत से सड़कों पर रेड़ी ,खोमचा इत्यादी लगाते हैं।

मुख्य रूप से आगामी वर्ष में विधान सभा चुनावों के चलते राज ठाकरे को आशा है कि गैर मराठी भाषी लोगों के खिलाफ निंदनीय बातों से, वे शिव सेना से मराठी जनता का समर्थन खींच लेंगे। इतना ही नही शिव सेना के उधव ठाकरे ने कहा कि नए हवाई अड्डे पर काम करने वाले महराष्ट्र से बाहर के किसी भी मजदूर को "कार्गो जहाज में भेज दिया जाएगा"!

इसमें आश्चर्य की कोई बात नही है कि राज्य में सत्तासीन कांग्रेस ने राज ठाकरे और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कड़ा कदम नही उठाया है। विलास राव देशमुख सरकार राज ठाकरे को तुरन्त गिरफ्तार नहीं किया। जबकि इस दौरान राज ठाकरे पुलिस कमिश्नर की बेटी के विवाह समारोह में मौजूद थे। पूरे देश की आवाज़ पर राज ठाकरे को गिरफ्तार किया गया परन्तु तुरन्त ही जमानत पर छोड़ भी दिया गया। हमें पुनः याद दिलाना होगा कि शिव सेना की आज्ञा पर, जनवरी में, राज्य गृह मंत्री उन 14 व्यक्तियों से मिले, जिन्हें नव वर्ष की शाम को दो एनआरआई महिलाओं से छेड़छाड़ के अभियुक्त थे।

राज ठाकरे की गिरतारी भी, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना द्वारा महाराष्ट्र के कुछ भागों, मुख्य रूप से नासिक में हिंसा करने का एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए की गई थी। जी जान से मेहनत करने वाले गरीब प्रवासी मजदूर उनका निशाना थे। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा मीडिया के सामने ही गैर मराठी भाषी ड्राइवरों को ऑटो, टैक्सी से और खोमचे वालों को उनके खोमचों से बाहर खींचकर मारा गया और उनके वाहनों को तोड़ा गया। बहुत से स्थानों इस हिंसात्मक गतिविधि की रिपोर्ट बनाने के लिए मीडिया को आमंत्रित किया गया था। गैर मराटी भाषी लोगों की दुकानों पर हमला किया गया। पुलिस की भूमिका केवल, हमला करने वालों के समर्थन में मूक दर्शक की थी।

महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने अभियान चलाया कि मुम्बई बाहरी लोगों के सुपुर्द की जा रही है, जबकि सन् 1960 में मुम्बई में बाहरी राज्यों के मजदूरों की जनसंख्या लगभग 36 प्रतिशत थी। और 2001 में यह 26 प्रतिशत ही रह गई। माइग्रेशन और बेरोजगारी के कारणों से, नव उदारवादी नीतियों के बारे में शिव सेना और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना में चुप्पी सधी हुई है, जिसके हजारों "मुम्बईकार" और "मराठी" भी शिकार हैं। इन नीतियों में केवल बदलाव ही घरों के पास अधिक नौकरी सुनिश्चित और माइग्रेशन घटा सकता है, यह केवल एक बदलाव है।

अपने घरों से दूर कठिन परिश्रम करके आजीविका कमाने वाले हजारों उत्तरी भारतीयों के दिलों में आकस्मिक भय बनाने में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अभियान और कार्यवाहियां सफल हो गई थीं। लगातार हिंसा, रेलों में हिंसा की दिल दहला देने वाले चित्र, एक महिला डॉक्टर जोकि 1972 से महाराष्ट्र के लोगों की सेवा कर रही थी, को अस्पताल में उसके मरीजों के सामने मर्यादा भंग करना, बिहार की एक प्रवासी महिला मजदूर ने रेल के पाखाने में बच्चे को जन्म दिया जिससे प्रत्येक भारतीय को शर्मसार होना पड़ा। नासिक के समाचारों के अनुसार दो लोगों को जान से मार डाला गया। तीस हजार मजदूरों के एक तिहाई भाग ने 48 घंटों के भीतर ही नासिक छोड़ दिया। बहुत से कारखाने और दुकानें बंद कर दी गईं।

मजदूर वर्ग के आंदोलन की जिम्मेदारी है कि इस क्षेत्रियवाद के पागलपन का अंत करने की शुरूआत करें। सीआईटीयू ने भारत के मजदूर वर्ग का एकजुट हों। जनता से निवेदन किया गया है कि वे महाराष्ट्र के इस प्रचलन को न अपनाएं और भाईचारे और राष्ट्रीयता की भावना को बरकरार रखें।

वित्त मंत्री महोदय, देश के भविष्य का ख्याल भी रखें

के हेमलता

जब एक देश के वित्त मंत्री महोदय सकल घरेलू उत्पाद अथवा जीडीपी में 8–9 प्रतिशत वृद्धि का बखान बड़े–बड़े शब्दों में करते हैं और कहते हैं कि सेंसैक्स अभूतपूर्व बुलंदियों को छू रहा है उस समय देश के बच्चों की ओर देखते हैं तो सिर शर्म के मारे झुक जाता है; बहुत परेशानी होती है क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का भावी मानव संसाधन हैं। असल में उनकी हालत क्या है इसे दर्शाने के लिए यहां कुछ बड़े संकेत दिए गए हैं। इससे हमारे देश के मानव विकास के रिकार्ड का पता चल जाता है।

☐ भारत में हर वर्ष 25 लाख बच्चे असमय काल का ग्रास बन जाते हैं। इस तरह विश्व भर में बच्चों की होने वाली कुल मौतों में से 20 प्रतिशत बच्चों की मौते अकेले भारत में होती हैं। इस देश में पैदा होने वाले एक हजार बच्चों में से 58 बच्चे अपना पहला जन्म दिन भी नहीं मना पाते और जिंदगी से विदा ले लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 55 प्रतिशत शिशुओं की मृत्यु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर कुपोषण के चलते होती है।

☐ विकासशील देशों में जिन बच्चों का जन्म के समय कम वजन होता है उनमें 35 प्रतिशत बच्चे भारत में जन्म लेते हैं।

☐ विश्व में कुपोषण का शिकार प्रत्येक तीन बच्चों में से एक बच्चा भारत में रहता है। ज्यों ज्यों बच्चे बड़े होते हैं उनका पोषण कम होने और खराब स्वास्थ्य के कारण उनमें सीखने की क्षमता कम हो जाती है और वे स्कूल जाने लायक तैयार नहीं हो पाते।

☐ भारत में अल्प पोषण जन स्वास्थ्य की एक प्रमुख समस्या है। इससे सबसे अधिक बच्चों को जन्म देने की आयु की महिलाएं तथा युवा बच्चे होते हैं।

ये तथ्य ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के लिए बच्चों पर कामकाजी दल ने जुटाए हैं; ये चौंका देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं। बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। हमारे देश में पैदा होने वाले दसियों हजारों बच्चे धरती पर पहली बार अपनी आंखें खोलते समय माता के प्यार से वंचित हो जाते हैं। लगभग 1,36,000 माताएं भारत में हर वर्ष बच्चे को जन्म देते समय अथवा प्रसूति के समय कुशल दाई की सेवा हासिल न होने के कारण मर जाती हैं और यह संख्या विश्व में सबसे बड़ी है। हमारे यहां माताओं की मृत्यु दर प्रति एक लाख के पीछे 301 है जो विश्व में सर्वाधिक है और हमारे पड़ोसी देशों श्री लंका तथा पाकिस्तान की तुलना में भी अधिक है।

ये इस तरह के संकेतक हैं जिनके कारण भारत मानव विकास सूचकांक में 128वें स्थान पर बना हुआ है और भुखमरी के भूमण्डलीय सूचकांक में उसका स्थान 94वां है। किन्तु हमारी सरकार जो शेयर बाजार के निवेशकों के विश्वास को बहाल करने में तनिक देरी नहीं करती (जबकि इस देश के लोगों की केवल पांच प्रतिशत से भी कम संख्या शेयरों में अपना धन लगाती है)।

सरकार का यह उदासीन रुख समेकित बाल विकास सेवाओं (आइसीडीएस) योजना के लिए पिछले कई वर्षो से धन का आबंटन करने के मामले में प्रतिबिम्बित होता है। आइसीडीएस को 1975 में शुरू किया गया था और इसे शुरू हुए 32 वर्षो से अधिक समय बीत चुका है।

"देश के इस मानव संसाधन का विकास समग्र विकास का बुनियादी कारक है और यदि इस पहलू की अवहेलना की गई तो इसके घातक परिणाम निकलेंगे।" किन्तु हमारे देश में शिशु मृत्यु दर और बच्चों को जन्म देने वाली माताओं की मृत्यु दर आसमान की ऊंचाईयों को छू रही है; यह एक तथ्य है और इस समय की सत्तासीन सरकार को यह मानने में कठिनाई हो रही है।

जन्म के समय बच्चों का वजन कम होने, बच्चों के कुपोषण तथा मृत्यु दर का सम्बन्ध माताओं के कुपोषण, बच्चे को जन्म देने अर्थात् प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद की स्थितियों से जुड़ा है। यह एक तथ्य है। इस पर विचार करते हुए आइसीडीएस की परिकल्पना की गई थी।

इस सम्बन्ध में अनेक अध्ययन कराए गए जिनमें योजना आयोग, राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान इत्यादि की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम भी शामिल थे। यह आइसीडीएस के सकारात्मक प्रभाव का सूचक है जिसके चलते बच्चों में भयानक और उससे कुछ कम कुपोषण को कम करने, रोगों से लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता मिली है और बच्चों के स्कूल जाने को बढ़ावा दिया जाना सम्भव हो सका है। इसी कारण आइसीडीएस का और प्रसार करने का निर्णय लिया गया था। तीन दशकों से भी कम समय में देश में पात्रता की आयु के अनेक बच्चे आइसीडीएस की सेवाओं से लाभ उठाने लगे हैं और इन

बच्चों की संख्या देश के कुल बच्चों की संख्या के एक तिहाई से थोड़ी कम है। इससे आंगनवाड़ी केन्द्रों की खोलने की इच्छा प्रतिबिम्बित होती है। यूपीए सरकार ने "सभी बच्चों को आइसीडीएस सेवाओं के अन्तर्गत लाने और प्रत्येक बस्ती में आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने और इसका सार्वभौमिकीकरण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।"

यदि आइसीडीएस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया जाता तो भारत को प्रगति करने में सहायता मिलती और वह सहस्त्राब्दि विकास के संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर लेता।

बाल विकास की चिंता लम्बे चौड़े व्याख्यानों एवं बातों में दिखाई देती है पर सरकार द्वारा इसके लिए जरूरी संसाधनों का आबंटन नहीं किया जा रहा। एक के बाद एक बजट पेश किया जाता है पर उनमें बाल विकास की पूरी तरह अनदेखी कर दी जाती है और आइसीडीएस के लिए धन का आबंटन बस नाम मात्र का किया जाता है। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के लिए बाल विकास पर कामकाजी दल के अनुसार बाल विकास पर खर्च किया गए धन का अनुपात वर्ष 2000–01 तथा 2004–05 के बीच कुल केन्द्रीय बजटों का केवल 2.38 प्रतिशत था। यह धन बच्चों के विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से खर्च किया गया। उसमें से केवल 0.43 प्रतिशत धन ही बच्चों के विकास पर खर्च क़िया गया। पिछले वर्ष 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया था; उसमें से समेकित बाल विकास सेवाओं अथवा आइसीडीएस के लिए केवल 4,761 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया, जिसका अनुपात लगभग 0.0095 प्रतिशत है।

तृण मूल स्तर पर बाल विकास के कार्यक्रम को सफलता के साथ लागू करने वाली आंगनवाड़ी कर्मचारियों की दशा बेहद शोचनीय है; सरकार ने उनके तथा आइसीडीएस के प्रति उदासीन रवैया अपना रखा है; यह एक और महत्त्वपूर्ण पहलू है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुशल मजदूर का काम करती हैं पर उन्हें केवल 35 रुपए प्रति दिन दिए जाते हैं और सहायिकाएं अकुशल मजदूर का काम करती हैं पर उन्हें 17 रुपए से भी कम दैनिक वेतन दिया जाता है।

दो दशकों से भी अधिक समय से काम करने वाली आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 58–60 वर्ष की आयु पूरी करते ही जबरदस्ती नौकरी से निकाल बाहर किया जाता है और इसके लिए कोई वित्तीय मुआवजा भी नहीं दिया जाता।

आइसीडीएस के महत्त्वपूर्ण योगदान और देश के बच्चों के खाने के अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा को सुनिश्चित बनाने में उनकी भूमिका को देखते हुए अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन, आइसीडीएस का सार्वभौमिकीकरण करने, इस स्थायी सेवा बनाने और आंगनवाड़ी कार्यकताओं एवं सहायिकाओं की हालत में सुधार लाने की मांग लगातार उठाती रही है।

सीआइटीयू ने वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श के समय आइसीडीएस के लिए 12,000 करोड़ रुपए का आबंटन करने की मांग की है। इसमें 2,500 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है जो विशेष तौर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की हालत में सुधार लाने तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ देने के लिए निश्चित की जानी चाहिए। इससे केवल प्रति वर्ष प्रति बच्चा 700 रुपए का खर्च आएगा। क्या एक देश अपने बच्चों के लिए इतनी कम राशि भी उपलब्ध नहीं करा सकता? यदि नहीं तो हम देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं?

मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी नेता का स्मरण

मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी नेता और सीआइटीयू के पूर्व महासचिव **चित्तब्रत मजूमदार** की पहली मृत्यु वार्षिकी 20 फरवरी, 2008 को सीआइटीयू द्वारा पूरे देश में मनाई गई। सीआइटीयू के केन्द्रीय कार्यालय बी टी रणदिवे भवन नयी दिल्ली में भी इस अवसर पर स्मृति सभा का आयोजन किया गया जिसमें पूरे दिल्ली क्षेत्र के अलावा गाजियाबाद, फरीदाबाद तथा नौएडा में काम करने वाले मजदूरों, केन्द्रीय कार्यालय में काम करने वाले साथियों तथा सीआइटीयू नेताओं ने भाग लिया। और अपने प्रिय नेता 'चित्तदा' को याद किया।

सीआइटीयू के वरिष्ठ नेता तथा राष्ट्रीय सचिव कामरेड कनाई बनर्जी ने सभा की अध्यक्षता की। लोक सभा में सीपीआइ (एम) दल के नेता और सीआइटीयू के उपाध्यक्ष कामरेड बासुदेव आचार्य,सीआइटीयू के सचिव कामरेड स्वदेष देवराय, अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव कामरेड एन के शुक्ल, सीआइटीयू की दिल्ली राज्य समिति के महासचिव कामरेड मोहन लाल, ऑल इंडिया रेलवे लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएषन के महासचिव कामरेड एस के धर, एनज़ैडआइईए के नेता कामरेड नवीन चन्द, सीआइटीयू के सचिव कामरेड दीपंकर मुखर्जी ने 'चित्तदा' को श्रद्धांजलि भेंट की।

छटे वेतन आयोग की रिपोर्ट: मनमानी, पक्षपाती और निराशाजनक

भारत सरकार को 24 मार्च, 2008 को पेश की गई छटे वेतन आयोग की रिपोर्ट पूर्णतया निराशाजनक है। केन्द्रीय कर्मचारियों ने मांग की थी कि उनका न्यूनतम वेतन 10,000 रुपए किया जाए जो भारतीय श्रम सम्मेलन के नियमानुसार की गई गणना पर आधारित था। किन्तु वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन के रूप में उन्हें केवल 5,740 रुपए की मामूली रकम दी है जबकि न्यूनतम वेतन की अधिकतम सीमा 90,000 रुपए निर्धारित की गई है। आयोग ने न्यूनतम वेतन के अनुपात को बढ़ा कर 1:16 कर दिया है जबकि पांचवें वेतन आयोग में यह अनुपात 1:13 और उससे पहले यह अनुपात 1:10 था।

कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक एवं ऊंचे वेतन लेने वाले अधिकारियों को कहीं अधिक लाभ दिए गए हैं। इसके फलस्वरूप दोनों के बीच का अंतर बहुत अधिक हो गया है जिसे असामान्य कहा जा सकता है। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की स्थापनाओं के अनुसार भी न्यूनतम वेतन 7500 रुपए मासिक होना चाहिए क्योंकि 1993 तथा 2003 के बीच के वर्षो में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता में बढ़ोतरी हुई है और यह 56.2 प्रतिशत हो गई है। अस्सी प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वृद्धि दर इस समय 2.5 प्रतिशत है जबकि बीस प्रतिशत कर्मचारियों को 3.5 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ हासिल होगा। यह मानमानी कार्रवाई है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

आयोग ने नये प्रवेशार्थियों तथा नए पेन्शनभोगियों के लिए सीजीएचएस के लाभ वापस ले लिए हैं और उनके स्थान पर बीमा योजनाओं को लाया गया है। कर्मचारियों को इसके लिए कहीं अधिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह उनको दिया गया सेवा लाभ केवल धोखा बन कर रह जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार पूरे ग्रुप डी के पदों को समाप्त करके इनके काम के लिए आउटसोर्सिंग की जाएगी। इससे सरकार को 4,586 करोड़ रुपए की बचत होने की सम्भावना है। पांचवें वेतन आयोग के अनुसार सरकार का वार्षिक खर्च 12,000 करोड़ रुपए होता था जो अब कम होकर 7,975 करोड़ रुपए रह जाएगा। कलम की एक जुंबश से ग्रुप डी के 12 लाख पदों को समाप्त किया जा रहा है; किन्तु अधिकारियों का उनके बिना काम नहीं चल सकता इसलिए संविदा श्रमिकों की भर्ती की जाएगी और उन्हें कम वेतन दिया जाएगा।

ग्रुप सी कर्मचारियों का काम तो पहले ही अधिकतर आउटसोर्सिंग के माध्यम से चल रहा है। इस समय कर्मचारियों को वर्ष में अठारह जमा दो ऐच्छिक अवकाश मिलते हैं; उन्हें कम करके 3 कर दिया गया है और यही राष्ट्रीय अवकाश होंगे। कर्मचारियों को केवल 8 ऐच्छिक अवकाश दिए गए हैं। इसका मतलब है सीधे 9 अवकाशों और 9 दिन के वेतन की कटौती। भले ही यह रिपोर्ट नकारात्मक है और इसकी सिफारिशें स्वीकार करने योग्य नहीं हैं पर फिर भी कुछेक क्षेत्रों में कर्मचारियों को कुछ रियायतें भी दी गई हैं।

सीआइटीयू का मानना है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते। यदि सरकार इस कर्मचारी विरोधी रिपोर्ट को रद्द नहीं करती तो कर्मचारियों का संघर्ष के पथ पर चलना अनिवार्य है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा कर 62 वर्ष कर दी गई है। यह नौजवान पीढ़ी के हित में नहीं जो पहले ही रोजगार के लिए परेशान है। रिपोर्ट में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को ध्यान में नहीं रखा है।

शर्मनाक हद तक आइएएस समर्थक रिपोर्ट

राज्य सरकारी कर्मचारियों की अखिल भारतीय फैडरेशन ने छटे वेतन आयोग की रिपोर्ट को आइएएस अधिकारियों के पक्ष में बताया है। कोलकाता में 25 मार्च को जारी एक वक्तव्य में फैडरेशन के महासचिव सुकोमल सेन ने कहा कि उच्च स्तर पर अधिकारियों को न केवल भारी भरकम वेतन दिए गए हैं बल्कि अनेक तरह के प्रोत्साहन, दूसरी सुविधाएं देकर उन्हें मालामाल कर दिया गया है जबकि दूसरी श्रेणियों के कर्मचारियों को मामूली लाभ दिया गया है। मीडिया 40–60 प्रतिषत तक वेतन बढ़ोतरी का दावा कर रहा है किन्तु असल में निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। सबसे निचली श्रेणी के कर्मचारियों को अधिक से अधिक 5,740 रुपए का वेतन मिलेगा जबकि आइएएस श्रेणी में अधिकतम सीमा 90,000 रुपए रखी गई है।

ऑल इंडिया डिफैंस इम्पलाईज़ फैडरेशन

फैडरेशन के महासचिव सी श्रीकुमार ने पुणे में जारी किए गए एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि कर्मचारी संगठनों ने मूल वेतन का 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि देने की मांग की थी जबकि उन्हें केवल 2.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दी गई है। आयोग ने अधिकारी वर्ग को तो अधिक से अधिक लाभ दिए हैं पर ग्रुप डी, सी तथा बी कर्मचारियों की पूर्णतया अनदेखी कर दी गई है।

आयोग ने अपने विचर्णीय विषयों का उल्लंघन करते हुए 41 असला फैक्टरियों को बीएसएनएल के रास्ते पर धकेल दिया है। उन्होंने मांग की है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में तत्काल कर्मचारियों के संगठनों के साथ बातचीत करे और कर्मचारियों के पक्ष में रिपोर्ट में संशोधन लाए। फैडरेशन ने कर्मचारियों को छटे वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ आंदोलन का कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान भी किया है।

कीमतों में वृद्धि

शीला ने अपनी कार पार्क की। पर्स में से दस रू का नोट निकाला और पार्किंग लॉट अटैंडेंट को दिया। परन्तु सुमित्रा के लिए इस नोट की कीमत बहुत ही भिन्न है। वह यूपी के एक गांव में रहती है और उन भारतीयों में से एक है जोकि एक दिन में केवल 12 रू अधिक खर्च नही कर सकते।

हमारे प्रधानमंत्री असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 90 फीसदी लोगों पर *इंफ्लेशन* के प्रभाव के चलते इसे इसे सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। दुर्भाग्यवश वे हमारे देश के गरीबों की बदतर स्थिति और और आवश्यकताओं को पूरी तरह से अनदेखा कर इस संबंध में अपनी नीतियां नही बदलते, जबकि उन्होंने 2006–07 में कोरपोरेट क्षेत्र को कर में 1.5 लाख करोड़ रू छूट दे डाली। संसाधनों का अभाव, गरीब किसानों द्वारा लिए जाने वाले ऋण जिनके कारण पिछले पांच सालों से ये किसान आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, यह सब केवल सरकार की अयोग्यता को ही दर्शाता है।

पूरे एशिया में बहुत बड़ी संख्या में करोड़पति हैं जिनमें से हमारे देश में एक लाख करोड़पति शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्र की उन्नति की दर्शाने के लिए प्रतीक के रूप में दर्शाया भी जाता है। परन्तु हमारे देश में 83.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जोकि जनसंख्या का 77 प्रतिशत हिस्सा हैं, और प्रतिदिन केवल 20 रू ही कमा पाते हैं। गरीबी बढ़ रही है परन्तु सरकारी आंकड़ों के मिथ्या प्रमाणों अनुसार, सरकार ने गरीबी रेखा को उस निम्न स्तर पर ला दिया जिसका विश्वास भी नही किया जा सकता। फलस्वरूप मानव विकास सूचकांक में भारत 126वें स्थान से गिरकर 128वें स्थान पर आ पहुंचा। आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ चुके है जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को भी बजट संभालना मुश्किल हो गया है तो गरीब परिवारों की तो बात ही क्या करें। लगभग पिछले चार वर्ष से, जब से यूपीए सरकार सत्ता में आई है, वामपंथ पर द्वारा सुझाए गए विकल्पों के बावजूद, पेट्रोल और डीज़ल के दाम 7 बार बढ़ चुके हैं, जिससे सभी वस्तुओं के दामों पर असर पड़ा है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की बजाय और भी कमजोर बनाने पर तुली हुई है, जोकि कितने ही गरीब परिवारों के जीविका का एकमात्र साधन है।

गेहूँ, दाल, खाद्य तेलों और सब्जियों के दाम पिछले वर्ष की तुलना में आसमान पर जा बैठे हैं कुछ उदाहरणों के तौर पर 2006 और 2007 के बीच कुछ उदाहरणों के तौर पर: आटा 8से 12 रू प्रति किलो से 14 रू प्रति किलो पर पहुंच गया है; चावल 14 से 18 रू; खाद्य तेल 56 रू से 70 रू, मिक्स दाल 28 रू से 48 रू; दूध 14 रू से 20रू प्रति लीटर पर पहुंच गया है।

सरकार द्वारा चलाई जा रही नव उदारवादी नीतियों के चलते, बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी और इस तरह कीमतों में वृद्धि से जनता का जीना दूभर हो गया है। हमारे समाज में जहां महिलाएं सबसे अंत में भोजन करती हैं, और अंत में उनके लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में बचता ही नहीं, नतीजतन बहुत महिलाओं में अनीमिया और बच्चों में कुपोषण की शिकायत पाई जाती है।

इस कीमत वृद्धि के विरोध में बहुत से प्रदर्शन इत्यादी किए गए। राशन व्यवस्था को ठीक करने की मांगें की गईं परन्तु यूपीए सरकार के कान पर तो जूं तक नही रेंग रही। ऐसी भयंकर स्थिति में हमें इन कीमत व्रद्धि करने वाली नीतियों का विरोध करना होगा। और संघर्ष को जारी रखना होगा।

...और अगर, *रोका न गया भावों का चढ़ाव,*
तो 5 साल बाद छापेंगे अखबार ये
गेहूँ दस पैसे जोड़ी, चावल पचास पैसे कोड़ी
चने एक रुपए के पांच, पांच रू किलो घास
दूध एक रुपए की बूंद, घी दस पैसे में सूंघ
चालीस पैसे तोला आम कच्चे, एक रुपए में पांच बच्चे

आम आदमी के लिए सरकार की नीतियां

भारत में एरिक्सन, देवू मोटर्स, सैमसंग और कोकाकोला जैसी बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें 3,500 करोड़ रू कर के रूप में अदा करना अभी तक शेष है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, राजस्व विभाग का एरिक्सन ए बी से 472.10 करोड़, देवू मोटर्स, इंडिया से 442.72 करोड़ रू और 424.75 करोड़ रू कोका कोला, इंडिया से वसूल करना शेष है।

15 लाख आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को क्रमशः 3000 रू और 1500 रू बढ़ाकर वेतन भुगतान करने के लिए केवल 2500 करोड़ रू की आवश्यकता है। मात्र 40,000 रू के ऋणों पर बैंकों और कर्जा देने वाले महाजनों के उत्पीड़न के चलते किसान पर आत्महत्या का दबाव बन रहा है। एक लाख सोलह हजार रू राशि के प्रत्यक्ष कर बकाया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल बट्टेखाते पड़ी सम्पत्तियां (अथवा वे ऋण जिनकी अभी तक वसूली नहीं हुई), 38,974 करोड़ रू है। कर पर छूट के नाम पर एक लाख करोड़ रू की राशि कोर्पोरेट क्षेत्र को उपहार में दे दी गई है।

परन्तु आम आदमी के कल्याण पर खर्च करने 'संसाधनों की कमी' हैं कहां जिसका सरकार हमेशा राग अलापती रहती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मजदूर 24–25 अप्रैल को हड़ताल करेंगे

सीआईटीयू दिल्ली राज्य कमेटी की 18 –19 जनवरी 2008 की बैठक को हुई बैठक में केंद्र सरकार व दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ और मजदूरों के 14 सूत्री मांगपत्र पर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया।

1990 के बाद से उदारीकरण निजीकरण की नीतियों के तहत पूंजीपति वर्ग ने मजदूरों से श्रम सुविधाएं छीनने का प्रयास किया। जिसे मजदूरों ने पिछले कई सालों के संघर्षों व कुर्बानियों के बाद हासिल किया था। हकीकत यह है केंद्र सरकार व दिल्ली, यूपी, हरियाणा की राज्य सरकारें पूंजीपतियों द्वारा बनाए गए जंगल राज को कायम रखने में मददगार की भूमिका अदा कर रही है। इसी के चलते मालिकों के मुनाफे बढ़ रहे हैं। और मजदूरों के वेतन का हिस्सा घट रहा है। देश तरक्की कर रहां है लेकिन रोजगार लगातार घट रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है।

काम के घंटे 8 से 12 हो गए हैं, हाजिरी रजिस्टर पर नाम नही लिखा जाता, मजदूरों को सभी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। स्थाई कामों का ठेकाकरण हो रहा है। ठेकाकरण और आउटसोर्सिंग की बीमारी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में फैल चुकी है। महिलाओं को कानूनी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है।

पिछले चार वर्षों में सीआईटीयू ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में मालिकों द्वारा किए जा रहे श्रम कानूनों के उल्लंघनों के खिलाफ मजदूरों को आंदोलित किया। इन सभी आंदोलनों व संघर्षों में पुलिस ने दमनात्मक नीति अपनाई। हमारे कई नेताओं व मजदूर साथियों पर झूठे मुकदमें बनाए गए। प्रशासन तंत्र के पास गुहार लगाने के बाद भी उनकी चुप्पी दर्शाती है कि वे मालिकों के साथ ही खड़े हैं।

सीआईटीयू ने एक कारखाने की लड़ाई में क्षेत्र के मजदूरों की एकजुटता कायम की और उनके समर्थन में सभी को संघर्ष में उतारने में कामयाबी मिली। असंगठित क्षेत्र में लगे हुए लाखों मजदूर जैसे रेहड़ी–पटरी–खौमचा लगाने वाले, पल्लेदार, रिक्शा चालक, आटो चालक इत्यादि पर निगम प्रशासन व पुलिसिया कहर के खिलाफ भी सीआईटीयू ने मुहिम छेड़ रखी है। सामाजिक सुरक्षा के साथ समग्र केंद्रिय कानून बनाए जाने की मांग के समर्थन में 8 अगस्त 2007 की हड़ताल और 5 दिसम्बर 2007 का संसद प्रदर्शन इसी दिशा में उठाए कदमों की जिंदा मिसाल है। इन्हीं आंदोलनों के अनुभवों, देश के विकास में इस बहुमूल्य अंग मजदूर वर्ग के लिए उसका वाजिब हक मांगने / दिलवाने के लिए सीआईटीयू दिल्ली ने दो दिन 24 और 25 अप्रैल 2008 को दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा व फरीदाबाद में हड़ताल करने का फैसला लिया। हड़ताल के मांगपत्र में अन्य मांगों के साथ आंगनवाड़ी कर्मचारियों की यह मांग भी शामिल की गई है– आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सरकार का तृतीय व चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी घोषित करो। जब तक यह लागू न हो, तब तक सरकारी न्यूनतम वेतन दो।

इन मांगों को लेकर बीटीआर भवन, दिल्ली में सीआईटीयू दिल्ली ने एक कन्वेंशन का आयोजन किया। कन्वेंशन में लगभग 20 फैडरेशनों और जन संगठनों ने शिरकत की और इस हड़ताल को सीआईटीयू द्वारा सही समय पर सही कदम बताया। सभी संगठनों ने इन इन मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष के सारे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए वचनबद्धता प्रकट की।

पहले चरण में अपने सदस्यों को हड़ताल के लिए लामबंद करने का कार्यक्रम, जिसमें संगठनात्मक बैठकें, गेट मीटिंगें, क्षेत्रीय कमेटियों की बैठकें, संघर्ष कमेटियों का गठन, जिला कन्वेंशन, पर्चा वितरण, पोस्टर लगाना, वाल राइटिंग, जनम के नाटक आदि कार्यक्रम सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। 11 और 12 मार्च को दो दिन का फंड करने का निर्णय भी लागू हो चुका है। 24 से 31 मार्च को धरना, प्रदर्शन, हड़ताल नोटिस, पी एफ कमिश्नर, ई एस आई और उप श्रमायुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यरत लाखों लाख मजदूरों के बीच सघन प्रचार के बाद 10 अप्रैल को दिल्ली में मुख्यमंत्री कार्यालय पर, गाजियाबाद, नोएडा में डिप्टी कलेक्टर के सामने और फरीदाबाद में मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन होंगें।

11 अप्रैल से 23 अप्रैल तक केंद्रीय टैम्पो प्रचार और हड़ताल सफल करने की तैयारी के बाद 24 और 25 अप्रैल को दो दिनों की हड़ताल होगी।

(अंतिम पृष्ठ का शेष)

बहुत वर्षों से फैडरेशन की मांग रही है कि आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण किया जाए और इसे स्थाई सेवा बनाया जाए। फैडरेशन के नेतृत्व में लाभार्थियों से हस्ताक्षर एकत्र करना, पर्चा वितरण, लाभार्थियों के बीच बैठके करना, सभी राजनैतिक दलों के संसद सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों को पत्र, लाभार्थियों संगठनों से समर्थन हासिल करना, सम्मेलन, सेमिनार इत्यादी आयोजित करना जैसे संघर्ष और आम जनता और राजनैतिक दलों को सूचना में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, आईसीडीएस का महत्व बढ़ाने में शामिल हैं। उन्होंने अपनी मांगों को विशाल समर्थन के लिए लामबंदी में सहायता की। आईसीडीएस को कमजोर बनाने और समाप्त करने के लिए इसे पंचायतों, माता कमेटियों एवं गैर सरकारी संगठनों के सुपुर्द करना जैसे सरकार के प्रयत्नों से आईसीडीएस को बचाने में भी यह संघर्ष काम आए हैं।

यद्यपि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के कड़े विरोध के चलते सरकार के प्रयत्नों में अस्थाई रूप से ठहराव तो आया है परन्तु सरकार अब भी सार्वजनिक निजी भागीदारी के नाम पर आईसीडीएस का निजीकरण करने के प्रयत्न कर रही है, जोकि इसका नया मंत्र है।

आईसीडीएस को बचाने और आंगनवाड़ी कर्मचारियों की कामकाजी स्थिति को सुधारने के लिए फैडरेशन ने संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया।

आईसीडीएस (आंगनवाड़ी) परियोजना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी लागू करने का कदम

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनसे संबद्ध आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की फेडरेशनों ने समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस), में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या पीपीपी) लागू करने के, जैसी कि मीडिया में रिपोर्टे आईं हैं, भारत सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय के सोचे समझे कदम का कड़ा विरोध किया है। बाल विकास की इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण परियोजना को निजी क्षेत्र के नियंत्रण में देने का यह कदम अगर लागू कर दिया जाता है, तो एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के; जो खासकर समाज के सबसे गरीब हिस्सों की महिलाओं और बच्चों के बीच कुपोषण, शिशुओं की मृत्यु, माताओं की मृत्यु आदि जैसे गम्भीर मुद्दों को संबोधित करती है; लिए मौत की घंटी बन जाएगा।

सार्वजनिक – निजी भागीदारी के नाम पर पीछे के दरवाजे से नीतिकरण थोपे जाने का अंतिम नतीजा देश में इस सबसे महत्वपूर्ण कल्याण योजना के लाभार्थियों से यूसेज चार्जेज़ (उपयोग शुल्क) वसूला जाना है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में यह साबित भी हो चुका है, जहां से सरकार अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींच रही है और सार्वजनिक निजी भागीदारी के आवरण में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है।

पिछले कुछ वर्षों में बहुप्रचारित देश के तीव्र आर्थिक विकास की जगह भारत, मानव विकास संकेतकों में सबसे कम विकसित देशों के समूह में लगातार बना हुआ है। एक ऐसा देश जो मानव विकास में निवेश करने का बिलकुल भी इच्छुक न हो, विकसित देश बनने का सपना नही देख सकता। यह देश के गरीब बच्चों और महिलाओं के प्रति सरकार की उदासीनता को ही साबित करता है, कि सरकार के पास साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए अपने वादे के अनुरूप आईसीडीएस का सार्वभौमिकीकरण करने के लिए वित्तिय संसाधन नही है, जबकि राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय निगमों पर लाखों करोड़ों रूपए मूल्य के "प्रोत्साहनों" और रियायतों की बौछार करने के लिए संसाधनों की कोई कमी नही है। अनुभव बताता है कि निजी खिलाड़ी बच्चों और माताओं को लाभ पहुंचाने के बजाय ग्रामीण इलाकों में अपने व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने में कहीं ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिलाओं के दूरदराज इलाकों में उनके ऐजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा, जो आंगनववाड़ी केंद्रों पर काम पर विपरीत प्रभाव डालेगा।

लिहाज़ा, ट्रेड यूनियनों ने सरकार से मांग की कि सार्वजनिक–निजी भागीदारी के कदम को वापस लें और आईसीडीएस के सार्वभौमिकीकरण करने के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आगामी बजट में आईसीडीएस के लिए 12000 करोड़ रूपए आवंटित करे। ट्रेड यूनियनों ने इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने और उनके काम की परिस्थितियों को सुधारने के लिए 2500 करोड़ रू खास तौर से आवंटित करने की मांग भी की।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघर्ष: हालात में कुछ सुधार

हमारे देश के बच्चों का चहुमुखी विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा, समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) के अन्तर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के वेतन में मामूली सी वृद्धि की गई। आंगनवाड़ी सेविकाओं का मासिक वेतन 500रू और सहायिकाओं का 250रू बढ़ा दिया गया। परन्तु सरकार द्वारा उन्हें एक्स ग्रेशिया और पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ मुहैया कराने का कोई प्रावधान नही किया गया, जोकि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन काफी लंबे समय से मांग कर रही है। यहां तक कि महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा वादा किए गए 'विदाई तोहफे' के लिए भी कोई घोषणा नही की गई है। आईसीडीएस के लिए आबंटित राशि दिसम्बर 2008 के अंत तक एनसीएमपी में किए गए वादे के अनुसार आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण करने के लिए बहुत ही कम है।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि
1998 – 2008

		सेविका		वृद्धि	सहायिका		वृद्धि
क्र०सं०	राज्य	1998	2008		1998	2008	
1	आंध्र प्रदेश	500	2200	1700	260	1200	940
2	असम	500	1800	1300	260	900	640
3	बिहार	500	1500	1000	260	750	490
4	छत्तीसगढ़	500	1700	1200	260	850	590
5	दिल्ली	500	2000	1500	260	1000	740
6	गुजरात	500	2000	1500	260	1000	740
7	हरियाणा	700	1900	1200	360	1050	690
8	हिमाचल प्रदेश	700	1800	1100	360	950	590
9	जम्मू एवं कश्मीर	800	1800	1000	400	890	490
10	झारखंड	500	1850	1350	260	950	690
11	कर्नाटक	500	2250	1750	260	1125	865
12	केरल	500	2050	1550	260	1300	1040
			+150	+150		+75	+75
13	मध्य प्रदेश	500	1800	1300	260	900	640
14	महाराष्ट्र	675	2300	1625	385	1150	765
15	उड़ीसा	500	1500	1000	260	750	490
16	पुडुचेरी	968	6164	5196	575	5161	4586
17	पंजाब	700	1900	1200	360	1150	790
18	राजस्थान	500	2000	1500	260	1000	740
19	तमिलनाडु	928	3353	2425	450	1610	1160
20	त्रिपुरा	945	2700	1855	610	1450	840
21	उत्तर प्रदेश	500	1700	1200	260	850	590
22	उत्तराखंड	500	3000	2500	260	1500	1240
23	पश्चिम बंगाल	500	2100	1600	260	1350	1090

यहां तक कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में यह मामूली सी वृद्धि भी पूरे देश में लगातार किए संघर्षो का ही परिणाम है। इस संघर्ष में उन के खिलाफ प्रतिशोध की कार्यवाहियां की गईं; उन्हें परेशान किया जाता रहा; उन्हें पुलिस तथा अधिकारियों का दमन झेलना पड़ा; उन्हें गिरफ्तार किया जाता रहा; जिसमें उनका कई–कई बार जेल जाना और उन पर झूठे मुकद्दमें बनना भी शामिल है। आइफा और इसकी राज्य कमेटियों ने राष्ट्रीय और स्थानीय – राज्य, जिला और परियोजना स्तर पर बहुत से संघर्ष किए। ये संघर्ष केवल आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मुद्दों और मांगों को लेकर ही नही हुए, बल्कि आईसीडीएस को बचाने और हमारे देश के भविष्य मानव संसाधन, हमारे बच्चें को लाभान्वित करने के लिए आईसीडीएस का विस्तार करने के लिए भी किए गए।

इन संघर्षों के दौरान आंगनवाड़ी कर्मचारी जिन्हें उनके निम्न आर्थिक स्तर के कारण नीचे देखा जाता है, बहुत बड़ी संख्या में पंजीकृत होने के लिए आए; आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी सेवाओं को समाज में पंजीकृत करना चाहता है। राज्य संसाधनों से वेतन देन के लिए, बहुत से राज्यों में, यूनियनें राज्य सरकारों पर दबाव बना पाई। परिणामस्वरूप वेतन में कुछ वृद्धि हुई यद्यपि बहुत से राज्यों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन, न्यूनतम वेतन से भी कम है।

(शेष पृष्ठ 19 पर)

के हेमलता द्वारा, अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू) के लिए, ए–13, राउस ऐवेन्यू, नई दिल्ली से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21, झिलमिल इंडस्टीयल एरिया, जी टी रोड, शाहदरा दिल्ली–95 से मुद्रित